भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3530
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु अस्थायी निधि

3530. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार तैयार किए गए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए अस्थायी निधि जारी करती है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों को कोई धनराशि आवंटित की गई है और यदि हां , तो आवंटन की राशि निर्धारित करने के मानदंड क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना), प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) , ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) , राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) के तहत निधियां जारी करता है।

इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां योजनाबद्ध ढांचे के आधार पर जारी की जाती है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां , राज्यों के पास उपलब्ध शेष निधियों , योजनाबद्ध

आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों/उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतिकरण , योजनाओं के अंतर्गत पहले से आवंटित निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने, योजना संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता के आकलन को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती है। यह मंत्रालय किसी भी राज्य द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए किसी भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए अस्थायी निधि जारी नहीं करता है।

*****